

## फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री राधेश्याम सुथार वगैरह  
किस्म मुकदमा :- 212 आर.टी.एक्ट

विपक्षी :- श्री नरसिंग सुथार वगैरह  
पत्रावली संख्या :- 24/16 (प्रार्थना पत्र)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 03.03.2020 – पत्रावली पेश हुई। चूंकि मूल वाद आज अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया है। इस कारण से अब इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाकर खारिज किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 25.05.2016 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की जाती है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।</p> <p>( शैलेश सुराणा ) R.A.S. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर जिला उदयपुर</p>	

